

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

चाय बगान, कालीनगर, नामकोम, राँची-834010.

इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2017

आवश्यक सूचना प्रमाण पत्रों की जाँच का कार्यक्रम

दिनांक: 08.10.2018

इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2017 की मुख्य परीक्षा के आधार पर सभी विज्ञापित पदों के विरुद्ध अल्प सूचीबद्ध (Shortlisted) अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग कार्यालय में दिनांक 02.05.2018 से दिनांक 07.05.2018 तक तथा द्वितीय चरण दिनांक 23.07.2018 से दिनांक 24.07.2018 तक किया गया था।

2. तृतीय चरण में महिला क्षैतिज आरक्षण के तहत निम्नलिखित अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को आयोग कार्यालय में प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु दिनांक 11.10.2018 को 10:30 बजे पूर्वाह्न से 01:30 बजे अपराह्न तक आमंत्रित किया जाता है:-

अनुक्रमांक :- 1114030183, 2013030054, 2013030094, 2115030170, 2130030374, 2141030369, 2171030035, 2180030176. (कुल 08)

प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाना किसी अल्प सूचीबद्ध (Shortlisted) अभ्यर्थी का अंतिम चयन नहीं है। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरान्त मेधाक्रमानुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा तथा जाँच में अनुपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को अन्य कोई अवसर नहीं दिया जायेगा।

3. अभ्यर्थी जाँच हेतु उपर्युक्त परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र (Admit Card) तथा निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूलप्रति, एक-एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति के साथ तथा हाल में खींचा गया दो पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होंगे। जाँच हेतु वांछित प्रमाण पत्रों की सूची नीचे अंकित है :-

I. मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र (मूल प्रति)।

II. अमीन के पद की अपेक्षा के अनुरूप इंटरमीडिएट उत्तीर्णता से सम्बंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सर्वेयर का प्रमाण पत्र/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अमानत (अमीन) के एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स का प्रमाण पत्र।

III. अधिसूचित जिले के रिक्ति के विरुद्ध अभ्यर्थिता सत्यापन के लिए

क) किसी अधिसूचित जिले के रिक्ति के विरुद्ध आवेदन देने वाले सभी अभ्यर्थियों (अनारक्षित एवं अन्य आरक्षित वर्ग) के लिए उस जिले के उपायुक्त अथवा जिला अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र।

ख) वही स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा जिसकी संख्या, निर्गम तिथि तथा निर्गम प्राधिकार की प्रविष्टि ऑन लाईन आवेदन पत्र में की गई है। आवेदन में दर्ज प्रमाण पत्र से भिन्न स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

IV. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए

क) झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों को झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (प्रासंगिक परीक्षा) की विवरणिका के परिशिष्ट-III के प्रपत्र में।

ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के संदर्भ में जाति प्रमाण पत्र प्रासंगिक परीक्षा की विवरणिका के परिशिष्ट-I के प्रपत्र में।

- ग) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के लिए दिनांक 31.03.2013 के पश्चात् निर्गत विवरणिका के परिशिष्ट-II के प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र, जिसमें क्रिमी लेयर का स्पष्ट उल्लेख हो।
- घ) जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जिला के उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिए।
- ङ) वही जाति प्रमाण एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा जिसकी संख्या, निर्गम तिथि तथा निर्गम प्राधिकार की प्रविष्टि ऑन लाईन आवेदन पत्र में की गई है। आवेदन में दर्ज प्रमाण पत्र से भिन्न जाति का प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। ऑन लाईन आवेदन पत्र में जिस आरक्षण कोटि का दावा किया गया है उसी आरक्षण कोटि का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- V. दैनिक वेतनभोगी/उजरत भोगी अमीनों के आयु सीमा में छूट की अनुमान्यता के सम्बन्ध में:- उस अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत की जायेगी जिसकी प्रविष्टि ऑन लाईन आवेदन पत्र में की गई है।
- VI. भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में छूट की अनुमान्यता के सम्बन्ध में:- भूतपूर्व सैनिक होने का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र।

ह0/-
परीक्षा नियंत्रक
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग।